निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.24( )लेखा–ए/अनु/बजट/निकाशि/2011–12/ 1937-70   दिनांकः– 14-03-2012

आदेश

निम्नलिखित सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 7 एवं नियम 1993 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में निम्न शर्तों के अधीन उनके नाम के आगे कॉलम 5 में अंकित आवर्ती अनुदान राशि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम (RVRES) 2010 के तहत आवेदन नहीं करने वाले अथवा उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के माह अगस्त 2011 से 15 फरवरी 2012 तक के वेतन भत्तों का भुगतान करने हेतु Provisional रूप से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति दिनांक 31.3.2012 तक प्रभावी रहेगी :–

1. यह अनुदान सहायता अनुमानित आधार पर होने से उसका समायोजन वर्ष 2011–12 के वास्तविक अनुमोदित व्यय के अन्तिमीकरण जो कि नियमानुसार होगा, के अधीन किया जावेगा।
2. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.8(3)वि.मा./97 दिनांक 15.6.2002 की अनुपालना में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पी.एफ.राशि का अंशदान सम्बन्धित कोष कार्यालय में पूर्व की भाँति पी.डी.खाते में जमा कराई जावे।
3. इस अनुदान सहायता का उपयोग नियमों में उल्लेखित मान्य व्यय–प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा ।
4. इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अनुदान राशि में से अनुपयोगी राशि यदि कोई रहेगी तो दिनांक 31.3.2012 तक राजकोष में वापस जमा करानी होगी ।
5. संस्थाओं के हिसाब के लेखे–जोखे भारतीय लेखा परीक्षा विभाग एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ–साथ विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षणार्थ हेतु खुले रहेगें ।
6. संस्थाओं के वार्षिक हिसाब विवरण (स्टेटमेन्ट) चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित कराया जाकर ही प्रस्तुत किया जावेगा ।
7. सहायता प्राप्त अनुदान राशि में से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और न ही उसे गिरवी रखा जा सकेगा तथा उसका उपयोग उस प्रयोजन के अलावा जिसके लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है, किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा ।
8. प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना विभाग को तुरन्त प्रेषित की जावेगी ।
9. अनुदान सहायता राशि प्राप्ति के लिए अधिकृत व्यक्ति के परिवर्तन की सूचना कारण सहित तुरन्त प्रेषित की जावेगी ।
10. सहायता राशि के मासिक बिल के साथ गत माह के वेतन का विवरण, बैंक के माध्यम से भुगतान के प्रमाण पत्र एवं सी.पी.एफ. में जमा चालान की प्रति (एक प्रति में) भिजवाया जाना अनिवार्य होगा।
11. पिछले माहों के वेतन का बकाया विवरण यथा बैंक के माध्यम से भुगतान का प्रमाण पत्र एव सी.पी. एफ. में जमा चालान की एक प्रति यदि बकाया हो तो वित्तीय वर्ष के प्रथम बिल के साथ संलग्न कर भिजवायें अन्यथा बिल पारित नहीं किये जावेगें ।
12. वर्ष के दौरान अनुदान स्वीकृत पद पर कार्यरत कार्मिक के सेवानिवृत होने/सेवा त्याग/मृत्यु होने पर शीघ्र सम्पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को सूचित करेगें ।
13. अनुदान बिलों पर संस्था की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक/डी.डी.ओ. के हस्ताक्षर रेवेन्यू स्टाम्प पर करवाकर प्रस्तुत करें, अन्यथा बिल स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अगस्त 2011 से 15 फरवरी 2012 तक के लिए स्वीकृत आवर्ती अनुदान Provisional का विवरण

(राशि लाखों में)

क.सं.	कॉलेज क.सं.	महाविद्यालय का नाम	जिला	शेष देय राशि
1	2	3	4	5
1	2	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	अजमेर	2.33
2	4	सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर	अजमेर	0.85

3	5	श्री प्राज्ञ महाविद्यालय, विजयनगर, अजमेर	अजमेर	—
4	6	सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	अजमेर	—
5	7	विजय सिंह पथिक श्रमजीवी कॉलेज, अजमेर	अजमेर	4.65
6	20	मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया, हनुमानगढ	हनुमानगढ़	2.47
7	23	अग्रवाल कॉलेज, जयपुर	जयपुर	—
8	25	कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर,	जयपुर	—
9	26	लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर	जयपुर	—
10	29	एस.एस.जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर	—
11	32	श्री वीर बालिका पी.जी.महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर	—
12	41	एम.के.साबू कॉलेज ऑफ कामर्स, पिलानी, झुंझुनू	झुंझुनु	—
13	46	लाचू मेमोरियल कॉलेज आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी जोधपुर	जोधपुर	—
14	53	एस.पी.यू.पी.जी. महाविद्यालय, फालना, पाली	पाली	—
15	61	महर्षि दयानन्द [illegible] कॉलेज, [illegible], श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	1.26
16	62	एस. जी. एन. खालसा महाविद्यालय, श्री गंगानगर	श्रीगंगानगर	—
17	64	सेठ जी.एल.बियानी एस.डी. पीजी. कॉलेज, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	—
18	70	उदयपुर स्कूल ऑफ सोसल वर्क उदयपुर	उदयपुर	—
19	71	विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर	उदयपुर	—
		योग		11.56

(राशि रू. ग्यारह लाख छप्पन हजार मात्र)

क्रम सं. 3, 4, 7 से 14 एवं 16 से 19 को अनुदान हेतु मान्य आय के आधार पर राशि देय नहीं होने से अनुदान सहायता जारी नहीं की जा रही है।

यह राशि वर्ष 2011–12 के निम्न बजट शीर्ष से वहन की जावेगी :–

मांग संख्या –24

2202 – सामान्य शिक्षा
03 – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा
104 – गैर सरकारी महाविद्यालय एवं संस्थाओं को अनुदान
(02) – महाविद्यालय
12 – सहायतार्थ अनुदान (आयोजना भिन्न)

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

क्रमांकः–एफ.24( ) लेखा–ए/अनु/बजट/निकाशि/2011–12 /1937-709 दिनांकः– 14-3-12
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।
7. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
8. समस्त सचिव/प्राचार्य पूर्व में अनुदान सहायता प्राप्त महाविद्यालय, राजस्थान , कृपया (RVRES) 2010 के तहत आवेदन नहीं करने वाले अथवा उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के माह अगस्त 2011 से 15.02.2012 तक के बिल तैयार कर निर्धारित प्रमाण पत्र–पत्रों/दस्तावेजों के साथ इस विभाग को अविलम्ब प्रस्तुत करें।
9. रक्षित पत्रावली

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर